

न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।

आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या- 41/18-19,

वाद का प्रकार : बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा- 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकार:- अर्जून ठाकुर

प्रतिपक्षी:-रामेश्वर प्रसाद सिंह वगैरह

आदेश का क्रम संख्या और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
01.6.19	<p>यह अपील वाद की प्रक्रिया भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय वाद संख्या-20/2017-18 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रारम्भ हुई।</p> <p>प्रक्रिया संचालन के क्रम में सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-235(8)/रा0 दिनांक-05.04.2019 से बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिभू भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम 2019( बिहार अधिनियम 6, 2019) के अधिसूचना की गजट की प्रति जो विधि विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0 एल0जी0-01-15/2018/1569/लेज दिनांक-25.02.2019 द्वारा अधिसूचना की संसूचित की गई है जिसमें अधिनियम 1961 की धारा-16 की उप धारा (3) को निरसित की गई है। उक्त अधिनियम की धारा-16 में निम्नलिखित नई उप धारा- (4) जोड़ी गई है:-</p> <p>“(4)(i) इस अधिनियम की धारा-16 की उप धारा-(3) के निरसन के पश्चात् राज्य सरकार, राजस्व पंढ, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामले अथवा कार्यवाही उपपन्नित समझी जायेगी।</p> <p>(ii) इस अधिनियम की धारा-16 की उप धारा-(3) को निरसन के अनुकरण में पहले वैधरूप से जमा की गई क्रय राशि उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी।</p> <p>चूंकि विभागीय अधिसूचना के अनुसार धारा-16(3) को उपपन्नित कर दी गई है इसलिए इस न्यायालय में प्रक्रियाधीन उक्त वाद की कार्यवाही को उपपन्नित समझा जाय।</p> <p>आदेश की प्रति के साथ विभागीय अधिसूचना के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।</p> <p>लेखापित</p> <p>अपर समाहर्ता 01.6.19</p> <p>अपर समाहर्ता, मधुबनी। 01.6.19</p> 	